अपील सूचना अधिकार संख्या 110/2020 (RCMS 2020/00183) HIMANSHU S/O KRISHAN LAL, WARD NO. 06, MEHTAB COLONY, NAI MANDI GHARSANA, GANGANAGAR, RAJASTHAN - 335711 बनाम उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हिमांशु उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत 07 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उपखण्ड अधिकारी, घडसाना ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. How many commercial shop's are allocated till nows since 1990 just provide me list with name and contact number in gharsana tehsil.
2. Under which Act and Rules these allocations has been done in gharsana thesil.
3. Who is authorized to allocate commercial shop in gharsana thesil?
4. Please provid me orde copy which authorized the allocation in gharsna tehsil.
5. How many sh[illegible] January 2019- July 2020, provide me their name and address or mobile num[illegible] gharsana thesil.

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6. Why in Gharsana auction procedure is not followed is there any specific order from any authority's if so provide order copy also.
7. All the informaton which is asked above is concerned with Gharsana SDM office.

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1194 दिनांक 15.09.2020 एवं **स्मरण पत्र 1430/02.11.2020एवं 393/26.03.2021** से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था जो दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> **धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को **आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर भीतर** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे**। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:10 IST
Reason: SelfAttested